कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 3048 /आगरा/32379/2018, दिनांक, लखनऊ, मई 03 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ ।

विषय : आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम आगरा द्वारा बिछाई गयी पाइपलाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/08/33/2018/एफसी/51, दि0 20.04.2018
शासन का पत्रांक–भा0स0–60/14–2–2018–800(59)/2018, दिनांक 24.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 18.04.18 को सम्पन्न क्षेत्रीय सशक्त समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा वांछित सूचना उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचना सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक–4946/14–1(32379/2018), दिनांक 01.05.2018 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–3579/26–11(वाटर पाइप लाइन/आगरा) दि0 25.04.18 द्वारा दी गयी आख्या की सत्यापित छायाप्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

ज्ञातव्य हो कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में से आंशिक वनभूमि का प्रयोग किया जा चुका है, जिसका विवरण ऑनलाइन पार्ट–2 अपलोड है। अतः उक्त प्राप्त आख्या की 02 छायाप्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 3048 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।
3– परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0जल निगम, 4/4, संजय प्लेस, आगरा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।